28.4.25

वसीयत मति० 2001 पत्रावली में एक कॉपी है। पत्रावली उपलब्ध रिकॉर्ड व दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अभिलेख से प्रकट कि नामान्तरण संख्या 382 पर आपत्ति फरवरी 2006 को दायर की गई थी। अतः अधिनियम की धारा 178 के नामान्तरण संख्या 382 दिनांक 18.3.2006 पर आपत्ति करवाने वाले पोतों को हाजिर करने हेतु नोटिस जारी करने के निर्देश दिये जाते हैं। नोटिस तामील के अभाव में नामान्तरण को खारिज के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फैसल कर बोर्ड में भेजी जाए। दिनांक का फैसला तुरन्त हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2025.08.16 14:23:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)